महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, बीकानेर (राज.)

प.7(112-3)MGSUB/Acad/2012/ Date :

विद्या परिषद की दसवीं बैठक का कार्यवाही विवरण

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विद्या परिषद की दसवीं बैंठक दिनांक 08–06–2012 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के मीटिंग हॉल में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. डॉ. एम.डी. गौरा – अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
3. श्री एच.आर. इसरान – अधिष्ठाता, कला संकाय
4. डॉ सुरेन्द्र सहारण – अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
5. प्रो. एम.एम. सक्सेना – अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
6. प्रो. एस.के. भनोत – कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य
7. डॉ. आशा गोस्वामी – सदस्य
8. डॉ.बी.बी.एस. कपूर – सदस्य
9. डॉ. जी.पी. सिंह – सदस्य
10. डॉ. सतीश कौशिक – सदस्य
11. डॉ. रंजन सक्सेना – सदस्य
12. डॉ. मोहम्मद खान – सदस्य
13. डॉ. रविन्द्र मंगल – सदस्य
14. डॉ. मीरा श्रीवास्तव – सदस्य
15. डॉ. सुमित्रा चारण – सदस्य
16. डॉ. इन्द्र सिंह राजपुरोहित – सदस्य
17. डॉ. मोहम्मद हुसैन – सदस्य
18. डॉ. आ.के. सक्सेना – सदस्य
19. डॉ. बजरंग सिंह राठौड़ – सदस्य
20. डॉ. अहमद अली – सदस्य
21. डॉ. गार्गीराय चौधरी – सदस्य
22. श्री हुकम चंद ओझा – सदस्य
23. डॉ. आर.सी. सुथार – सदस्य
24. डॉ. के.के.शर्मा (हनुमानगढ़) – सदस्य

25.	डॉ. के.के. शर्मा(बीकानेर)	–	सदस्य
26.	डॉ. अनिल कौशिक	–	सदस्य
27.	डॉ. परषोत्तम स्वामी	–	सदस्य
28.	डॉ. विजेन्द्र गौतम	–	सदस्य
29.	डॉ. आर. के. रंगा	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
30.	डॉ. एन. के. व्यास	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
31	श्रीमती अनुपमा चौधरी	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
32.	श्री अरविन्द सिंह शेखावत	–	सदस्य सचिव

बैठक में सर्वप्रथम नवनियुक्त सदस्य डॉ. बी.बी.एस.कपूर, डॉ.रामा गुप्ता, डॉ. रंजन सक्सेना, डॉ. मोहम्मद खान, डॉ. उमाकान्त गुप्ता, डॉ. यशोदा चौहान, डॉ. सुमित्रा चारण, डॉ. इन्द्र सिंह राजपुरोहित, डॉ. आशा रानी, डॉ. अरूणा भारद्वाज, डॉ. अहमद अली, डॉ. के.के. शर्मा, हनुमानगढ, डॉ. के.के. शर्मा, बीकानेर आदि का स्वागत किया गया साथ ही प्रो. एम.एम. सक्सेना को विज्ञान संकाय का नवनियुक्त अधिष्ठाता नियुक्त होने पर सदन द्वारा बधाई दी गई। निवर्तमान अधिष्ठाता डॉ. आर.के. वर्मा एवं श्री मनीराम एवं विद्या परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा विद्या परिषद बैठकों में दिये गये सहयोग की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही बिन्दुवार प्रारम्भ हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/01

विद्या परिषद की 09 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विद्या परिषद की 09 वीं बैठक दिनांक 27.09.11 का कार्यवाही विवरण पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद की 09 बैठक दिनांक 27–09–2011 के कार्यवाही विवरण का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/02

विद्या परिषद की 09 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव

विद्या परिषद की 09 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद की 09 बैठक दिनांक 27–09–2011 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/03

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए तैयार किये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव

पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए तैयार किये गये निम्नलिखित पाठ्यक्रम विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैः–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1.	गणित (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	कैमेस्ट्री, फार्मेस्यूटिकल कैमेस्ट्री एवं बायो कैमेस्ट्री (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	बॉटनी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	जूलॉजी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	भूगर्भ विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	भौतिक विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7.	द डिफेन्स एण्ड स्ट्रेटिजिक स्टीडीज (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	बायोटेक्नोलोजी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9.	माइक्रोबायोलोजी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011 एवं 19–05–2012)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एम.फिल. पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा कुछ पेपरों के शीर्षक बदलाव का प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार किया गया। साथ ही शोध हेतु पंजीयन पूर्व कोर्स वर्क एवं प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक बुलाने के निर्देश प्रदान किये। पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
10.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। M.Sc. Computer Science में प्रवेश हेतु योग्यता का निर्धारण करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
11.	पर्यावरण विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011 एवं 18–05–2012)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
12.	लोक प्रशासन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	गृह विज्ञान एवं फूड एण्ड न्यूट्रिशियन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14.	इतिहास (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
15.	समाजशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

16.	राजनीति विज्ञान (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
17.	अर्थशास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 16–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्ययन मण्डल द्वारा सत्र 2012–13 से B.A. (Hons.) प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत सुझाव पर विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में B.A. (Hons.) प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत अध्ययन करने के लिए अधिष्ठाताओं की समिति बनाकर सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
18	भूगोल (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
19.	जी.पी.इ.एम. (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
20.	ए.बी.एस.टी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
21.	ई.ए.एफ.एम. (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
22.	व्यावसायिक प्रबंधन एवं मैनेजमेंट (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23.	विधि (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
24.	शिक्षा (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
25.	शारीरिक शिक्षा (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
26.	हिन्दी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुशंसा को विद्या परिषद द्वारा अस्वीकार किया गया।
27.	अंग्रेजी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
28.	संस्कृत (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वर्ष 2011–12 के पाठ्यक्रम वर्ष 2012–13 के लिए यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
29.	उर्दू एवं परसियन (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
30.	संगीत (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011 एवं 18–05–2012)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
31.	पंजाबी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
32.	राजस्थानी (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
33.	मनोविज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	(अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 24–12–2011)	
34.	ड्राइंग एण्ड पेंटिंग (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
35.	दर्शन शास्त्र (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 15–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
36.	जे.वी.जे.वी. (अध्ययन मण्डल बैठक दिनांक 14–12–2011)	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त पाठयक्रमों के अनुमोदन के समय चर्चा के दौरान निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए :–

1. माननीय अध्यक्ष महोदय ने अध्ययन मण्डलों के समन्वयकों से अनुरोध किया कि पाठ्यक्रम में संशोधन के समय यह ध्यान रखा जावें कि जो पुस्तक प्रारम्भ की जा रही है वे बाजार में आसानी से उपलब्ध है या नहीं, इसकी सुनिश्चितता करें।

2. माननीय अध्यक्ष महोदय ने अध्ययन मण्डलों के समन्वयकों से अनुरोध किया कि पाठ्यक्रम में संशोधन, स्कीम परिवर्तन करने पर संबंधित विषय के नमूना पेपर विश्वविद्यालय को अवश्य उपलब्ध करावें।

3. माननीय सदस्य प्रो. आर.के. रंगा एवं डॉ. एन.के. व्यास द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अकादमिक शाखा को निर्देशित किया कि अध्ययन मण्डलों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सदस्यों के दूरभाष पर भी सूचना प्रदान की जावें।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/04

विश्वविद्यालय में ड्यू पेपर स्कीम के नियम/परिनियम बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विद्या परिषद की नौंवी बैठक दिनांक 27.09.11 में लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में ड्यू पेपर स्कीम के नियम/परिनियम बनाने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ.07(356)मगंसिविबी/शैक्ष./ 2011/28480–85 दिनांक 02–11–2011 के द्वारा निम्नांकित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया :–

1.	प्रो. एस. के. भनोत	–	विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, मगंसिवि, बीकानेर।
2.	प्रो. एम.एम. सक्सेना	–	विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग, मगंसिवि, बीकानेर।
3.	श्री के.के. कोचर	–	परीक्षा नियंत्रक, मगंसिवि, बीकानेर।
4.	डॉ. जी.एन. शर्मा	–	सेवानिवृत प्राचार्य
5.	श्री एच.आर. इसरान	–	प्राचार्य, एम.एल.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोखा

उपरोक्त समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा/रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में ड्यू पेपर स्कीम के नियम/परिनियम बनाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों ने पूरक परीक्षा एवं ड्यू पेपर के सम्बन्ध में अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये। विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त बिन्दु पुनः इसी समिति को भेजा जावें। समिति उक्त बिन्दु से संबंधित सभी विकल्पों यथा पूरक परीक्षा, तृतीय वर्ष में प्रमोट ना करने संबंधी, परीक्षार्थी को पेपर पास करने हेतु कितनी बार मौका दिया जावें आदि बिन्दुओं पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं म.द.स.विश्वविद्यालय अजमेर में प्रचलित नियमों के संदर्भ में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट आगामी विद्या परिषद बैठक में प्रस्तुत की जावें।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/05

विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो अनिवार्य विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विद्या परिषद की नौंवी बैठक दिनांक 27.09.11 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में हिन्दी व अंग्रेजी दोनो अनिवार्य विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सम्बन्ध में समस्त पहलुओं का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ.07(356) मगंसिविबी/शैक्ष./2011/28488–91 दिनांक 02–11–2011 के द्वारा निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया गया :–

1. श्री मनीराम – अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं प्राचार्य, राजकीय एम.एस. महाविद्यालय, बीकानेर।
2. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल– विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, मगंसिवि, बीकानेर।
3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी – राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव/रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने के कारण आगामी विद्या परिषद बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/06

डॉ. राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के छात्रों से प्राप्त पत्र में स्नातक स्तर कला संकाय के पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के रूप में भूगोल एवं दर्शनशास्त्र में से कोई एक विषय का ही चयन कर सकने की बाध्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्राचार्य, डॉ. राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा अंग्रेषित पत्र के अनुसार स्नातक स्तर कला संकाय के पाठ्यक्रमों में ऐच्छिक विषय के रूप में भूगोल एवं दर्शनशास्त्र विषयों को एक साथ लेने पर लगी पाबन्दी को हटाये जाने का अनुरोध किया है।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश 200–A के उपखण्ड 2 के अनुसार कॉलम 01 में जो विषय है का चयन कर लेने के पश्चात् छात्र कॉलम 02 के विषयों का चयन नहीं कर सकता। भूगोल विषय कॉलम 02 में है तथा दर्शनशास्त्र विषय कॉलम सं. 01 में अंकित है, अध्यादेश संलग्न है। अध्यादेश में परिवर्तन करने की शक्ति विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल को है।

यथानुसार प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में प्रतिबंधित विषयों के चयन हेतु विद्यार्थियों को विषय चयन करने हेतु दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा निम्न माननीय सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :–

1. **प्रो. आर. के. रंगा**
2. **अधिष्ठाता विज्ञान संकाय**
3. **अधिष्ठाता कला संकाय**
4. **अधिष्ठाता सामान्य विज्ञान संकाय**
5. **प्रो. एस. के. भनोत**
6. **समन्वयक, भूगोल**
7. **समन्वयक, दर्शनशास्त्र**

उपरोक्त समिति अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/07

विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता शुल्क का तुलनात्मक विवरण एवं प्रस्तावित शुल्क का विवरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में सत्र 2009–10 में पत्र क्रमांक 15717–946 दिनांक 27.09.08 के द्वारा विभिन्न विषयों/संकायों का सम्बद्धता शुल्क निर्धारण किया गया था जो कि अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कम है। अतः अन्य विश्वविद्यालय यथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती

विश्वविद्यालय, अजमेर मे संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता शुल्क का तुलनात्मक विवरण अवलोकनार्थ एवं प्रस्तावित शुल्क विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

COMPARATIVE STATEMENT OF AFFILIATION FEE

S. No.	Name of Course	Existing Fees of MGSU Bikaner	Raj. Univ. Jaipur	MDSU, Ajmer	Proposed Fees for Session 2013-14
1.	For every under graduate course	30000	40000	30000	35000/section 10000/additional section
2.	For every certificate/diploma course	50000	50000	25000	50000
3.	For introducting of one additional subject in under graduate course	10000	10000	15000	15000
4.	For post graduate course per subject	20000	10000	25000	25000
5.	B.C.A.	40000	75000	50000	50000
6.	B.Ed./B.P.Ed.	50000	75000 per 100 student	50000	75000/100 student
7.	B.B.A.	60000	75000	60000	60000
8.	B.Sc. Bio Technology Integrated	70000	75000	70000	70000
9.	B.Sc. Micro Biology Integrated	70000	75000	70000	70000
10.	L.L.B.	60000	80000	60000	60000/Sect. 10000/additional section
11.	M.A./M.Sc. (Defence Studies)	-	10000	40000	-
12.	M.Sc. (Applied Chemistry)	20000	10000	30000	30000
13.	M.Sc. (Food & Nutrition)	20000	10000	30000	30000
14.	M.Sc. (Environmental Science)	20000	10000	30000	30000
15.	M.Sc. (Applied Mathematics)	20000	10000	30000	30000
16.	M.Sc. (Applied Physics)	20000	10000	30000	30000
17.	M.Sc. (Computer Science)	20000	10000	50000	30000
18.	M.Sc. (Information Technology)	20000	10000	30000	30000
19.	M.Sc. (Bio Technology)	20000	10000	40000	30000
20.	L.L.M.	60000	-	60000	60000
21.	M.Sc. Pharmaceutical Chemistry	20000	40000	30000	30000
22.	M.Sc. Bio Informatics	20000	-	30000	-
23.	M.Phil. (one subject)	20000	-	60000	30000
24.	PGDCA/PG Diploma in any subject, PG Diploma in Law.	60000	50000	60000	60000

25.	M.Sc. Bio Chemistry	20000	40000	-	30000
26.	B.F.A.	60000	40000	-	60000
27.	B.A./B.Sc./B.Com Computer Application Vocational per faculty	10000	-	-	15000/40student. 5000/add.section
28.	B.Sc. Micro Biology Vocational	10000	-	-	15000
29.	B.Sc. (Bio Technology) Vocational	10000	-	-	15000
30.	B.A./B.Sc. G.P.E.M.	10000	-	-	15000
31.	Inspection Fees	*BBA-10000 All other course - 5000*		*BBA-10000 All other course-10000*	10000/per course

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता शुल्क पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण किया गया :–

COMPARATIVE STATEMENT OF AFFILIATION FEE

S. No.	Name of Course	New affiliation Fees from session 2013-14 MGSU Bikaner
1	For every under graduate course	30000/- upto 03 section 10000/additional section
2	For every certificate/diploma course	40000
3	For introducting of one additional subject in under graduate course	15000
4	For post graduate course per subject	25000
5	B.C.A.	50000/- upto 03 section 10000/additional section
6	B.Ed./B.P.Ed.	75000/100 student
7	B.B.A.	60000/- upto 03 section 10000/additional section
8	B.Sc. Bio Technology Integrated	70000
9	B.Sc. Micro Biology Integrated	70000
10	L.L.B.	60000/- upto 03 section 10000/additional section
11	M.A./M.Sc. (Defence Studies)	30,000
12	M.Sc. (Applied Chemistry)	30000
13	M.Sc. (Food & Nutrition)	30000
14	M.Sc. (Environmental Science)	30000
15	M.Sc. (Applied Mathematics)	30000
16	M.Sc. (Applied Physics)	30000
17	M.Sc. (Computer Science)	30000
18	M.Sc. (Information Technology)	30000
19	M.Sc. (Bio Technology)	30000

20	L.L.M.	60000
21	M.Sc. Pharmaceutical Chemistry	30000
22	M.Sc. Bio Informatics	30,000
23	M.Phil. (one subject)	30000
24	PGDCA/PG Diploma in any subject, PG Diploma in Law.	50,000
25	M.Sc. Bio Chemistry	30000
26	B.F.A.	50000
27	B.A./B.Sc./B.Com Computer Application Vocational per faculty	15000/40student. 5000/add.section
28	B.Sc. Micro Biology Vocational	15000
29	B.Sc. (Bio Technology) Vocational	15000
30	B.A./B.Sc. G.P.E.M.	15000
31	Inspection Fees	10000/per course

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/08

श्री श्याम सुन्दर पारीक, एम.फिल.–भौतिक शास्त्र, परीक्षा, 2008 की उपाधि प्रकरण में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विद्या परिषद की आठवी बैठक दिनांक 23.05.11 के बिन्दु सं. 10 में स्व–वित्तपोषी योजना के अन्तर्गत एम.फिल. (भौतिक शास्त्र) परीक्षा–2008 में छात्र श्री श्याम सुन्दर पारीक को अपूर्ण उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप विद्या परिषद द्वारा विचार–विमर्श उपरांत छात्र द्वारा प्रथम दृष्टया तथ्य छिपाने, एस.एफ.एस. विभाग व विश्वविद्यालय स्तर पर हुई लापरवाही तथा विधिक प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए डॉ. विमलेन्दु तायल के संयोजन में विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाताओं की समिति का गठन किया गया। अधिष्ठाता समिति द्वारा दिनांक 05–08–2011 एवं 31.01.12 को बैठक आयोजित की गई।

समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा/रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– समिति से प्राप्त अनुशंसा को स्वीकृत कर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से श्री श्याम सुन्दर पारीक एम.फिल. भौतिक शास्त्र की उपाधि Withdraw करने हेतु अपनी अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल को भेजने का निर्णय लिया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/09

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन/प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिकाओं को नष्ट करने तथा इनके अवलोकन/ प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने संबंधी अध्यादेश Ord.153 (3), Ord.157-A-16 एवं Ord.-169-J में Notification No. 05 क्रमांक F.No. 2(6) Acad.1/2012/7056M dated 23-03-2012 के द्वारा अध्यादेश में संशोधन किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

चूंकि यह अध्यादेश महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में भी लागू है। अतः इस विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन/प्रतियां उपलब्ध करवाने संबंधी

नियमों के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 5245–57 दिनांक 14–05–2012 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा बैठक के दौरान प्रस्तुत कर दी जावेगी।

निर्णय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश के प्रावधानों में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार संशोधन करते हुए विद्या परिषद द्वारा समिति की रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया कि समिति की अनुशंसानुसार नियम बनाकर सत्र 2011–12 की परीक्षा से ही लागू किया जावें।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/10

शोध कार्य (Ph.D.) के लिए निर्धारित शुल्क का पुनर्निधारण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा शोध कार्य हेतु शोधार्थी से पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि रू. 3000/– एवं शोध ग्रंथ (Thesis) का मूल्याकंन हेतु राशि रू. 5000/– इस प्रकार कुल राशि रू. 8000/– शोध कार्य हेतु शुल्क के रूप में ली जा रही है। शोधार्थी के शोध प्रस्ताव का मूल्याकंन करवाने में राशि रू. 200/–, शोध ग्रंथ का मूल्याकंन और मौखिक परीक्षा आयोजन में राशि रू0 6500/– एवं परीक्षक को T.A./D.A. का भुगतान करने पर लगभग राशि रू. 5000/– कुल राशि रू. 11700/– का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थी से ली जाने वाले शोध शुल्क से अधिक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

इसके साथ ही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग द्वारा वार्षिक शुल्क के संबंध में भी स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं है। अतः विभिन्न विषयों हेतु वार्षिक शुल्क का निर्धारण किया जाना भी प्रस्तावित है।

इस परिप्रेक्ष्य में शोध शुल्क का पुनर्निधारण करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F.12( ) MGSUB/Reserach/2012/6011-16 Date : 18-05-2012 के द्वारा समिति का गठन किया गया। उपरोक्त समिति की अनुशंसा/रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– शोध पंजीयन एवं सम्बन्ध परीक्षा/मूल्याकंन (Ph.D.) के लिए निर्धारित शुल्क का पुनर्निधारण करने के सम्बन्ध में प्रस्तावित शुल्क पर व्यापक विचार–विमर्श करने के उपरान्त सत्र 2012–13 से निम्नानुसार शुल्क निधारित करने का निर्णय लिया गया :–

Head	**Decided fees**
(A) Ph.D. Registration & Evaluation fees to be charged by University (i) Ph.D. Registration Application Fees (ii) Ph.D. Thesis evaluation Fees	 Rs. 5000/- Rs. 8000/-
(B) Annual Fee to be charged by College/University (i) Arts, Social Science, Law, Education, Commerce, Mathmatics. (ii) Science subjects other than Mathematics, Biotechnology, Microbiology. (iii) Biotechnology, Microbiology	 Rs. 5,000/- (Maximum) per annuam Rs. 10,000/- (Maximum) PerAnnuam Rs. 20,000/-
Note : Annual Fee under head (B) above, will be charged maximum for a period of two years, from the date of commencement of work in two installments.	

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी / विद्या परिषद–10 / 11

पुनर्मूल्याकंन से संबंधित नियमों में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा किये गये संशोधन को विश्वविद्यालय में लागू करने के सम्बन्ध प्रस्ताव

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पुनर्मूल्याकंन से संबंधित अध्यादेश 157 के अनुसार द्वितीय परीक्षक द्वारा उत्तपुस्तिका जांच के दौरान यदि अधिकतम अंको के 20 % से अधिक अंक बढ़ते है अथवा 20 % से अधिक अंक कम होते है तो उस उत्तपुस्तिका की तृतीय परीक्षक से जांच करवाने का प्रावधान है। तत्पश्चात दो निकटतम अंको के औसत के आधार पर पुनर्मूल्याकंन का परिणाम घोषित किया जाता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नोटिफिकेशन क्रमांक F.13( ) Acad-I/MDSU/2010/14632-15031 दिनांक 25.05.2010 (प्रति संलग्न) के अनुसार पुनर्मूल्याकंन से संबंधित उक्त नियम में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमानुसार पुनर्मूल्याकंन से 25 % से अधिक अंकों की वृद्धि होती है तो पूर्व में प्राप्त अंकों में अधिकतम अंको के 25 % अंक जोडते हुए तथा शेष बढ़े हुए अंकों के 50 % अंक और जोड़कर पुनर्मूल्याकंन परिणाम जारी करने का प्रावधान रखा है। इसके विपरीत यदि 25 % से अधिक अंको की कमी होती है तो पूर्व में प्राप्त अंकों में से 25 % अंक कम करते हुए तथा शेष घटे हुए अंको के 50 % अंक ओर कम करते हुए पुनर्मूल्याकंन का परिणाम घोषित करने का प्रावधान है।

उक्त संशोधन से पुनर्मूल्याकंन के परिणाम घोषित करने में होने वाली अनावश्यक देरी की कठिनाई को दूर किया जा सकता है चूंकि इसके अनुसार तृतीय परीक्षक को जाँच हेतु उत्तर पुस्तिका भेजने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 48 के अनुसार जब तक विश्वविद्यालय के नियम, परिनियम एवं आर्डिनेंस नहीं बन जाते तब तक महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में लागू नियम, परिनियम एवं आर्डिनेंस इस विश्वविद्यालय में भी लागू होगें ।

अतः पुनर्मूल्याकंन से संबंधित नियमों में म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी किये गये संशोधन को विश्वविद्यालय में लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– पुनर्मूल्याकंन से संबंधित महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये संशोंधित नियम Notification No. F.13( ) Acad-I/MDSU/2010/14632-15031 dated 25-05-2010(enclosed) **को परीक्षा 2012 से लागू करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/12

सम्बद्ध महाविद्यालयों में व्याख्याता/एसिस्टेन्ट्स प्रोफेसर की योग्यता से संबंधित नियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित किये गये संशोधन को लागू करने एवं नेट/सलेट योग्यताधारी व्याख्याता उपलब्ध न होने पर योग्यता के संबंध में छूट देने संबंधी प्रस्ताव

सम्बद्धता प्राप्त विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यो/प्रबन्धकों ने विश्वविद्यालय से निवेदन किया है कि विभिन्न विषयों में नेट/स्लेट योग्यताधारी व्याख्याता वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा योग्यताधारी व्याख्याताओं के संदर्भ में दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना नहीं कर पा रहे है। साथ ही महाविद्यालयों ने एम.फिल./पीएच.डी. को नेट के समकक्ष मानने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव को मानने के संदर्भ में निवेदन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 27.09.2010 की बैठक में पारित प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 10 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल की डिग्री प्राप्त की है, या जिन अभ्यर्थियों ने 31 दिसम्बर, 2009 से पूर्व पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की है, अथवा 10 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री का रजिस्ट्रेशन करवाकर बाद में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त कर ली हो, उन्हें व्याख्याता/ सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु नेट की आवश्यकता से मुक्त रखा जा सकता है।

बीबीए/बीसीए के सन्दर्भ में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित योग्यता के अनुरूप व्याख्यता उपलब्ध न होने की स्थिति में ए.आई.सी.टी.ई की योग्यता को मानने संबंधी दिशा-निर्देश है।

पूर्व में जुलाई, 2009 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में मानव संसाधन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्यूलेशन, 2009 के माध्यम से योग्यतायें निर्धारित की गई। जबकि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता छूट संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित किया गया है। परन्तु उपरोक्त प्रस्ताव को मानव संसाधन मंत्रालय के अनुमोदन के अभाव में रेग्युलेशन जुलाई, 2009 में संशोधन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में छूट संबंधी प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सदस्यों का सुझाव था कि कई विषयो में नेट/सलेट योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नही हो रहे है। साथ की कई विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये प्रस्तावानुसार सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु योग्यताओं में छूट देते हुए वर्ष 2009 या उससे पूर्व के Ph.D. धारकों को योग्य माना है। साथ ही यह भी प्रस्ताव आया कि जिन महाविद्यालयों में वर्ष 2009–10 या पूर्व में Ph.D./M.Phil. धारकों को नियुक्ति दी गई और वे निरन्तर कार्यरत है उनके शैक्षिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनको योग्य शिक्षकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

निर्णय :– उपरोक्त विचार–विमर्श के उपरानत सत्र 2009–10 या पूर्व में नियुक्त शिक्षक जो Ph.D./M.Phil. धारक है तथा महाविद्यालय में निरन्तर कार्यरत रहे हैं लेकिन महाविद्यालय में उनकी किसी कारणवश स्थाई नियुक्ति नही हुई है ऐसे शिक्षकों को ही सत्र 2011–12 एवं अगले एक वर्ष तक योग्यताधारी शिक्षकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जावें।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद-10/13

समकक्षता समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुमोदन का प्रस्ताव

समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 21.05.2012 का निम्न मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय हेतु आयोजित की गई -

1. सचिव (परीक्षा) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भारत, जसपुर, उत्तराखंड द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी/हॉयर सैकण्डरी) को सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष मानकर स्नातक व वोकेशनल कोर्स में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु।
2. गारमेंट प्रोडेक्शन एण्ड एक्सपोर्ट मेनेजमेण्ट को गृह विज्ञान संकाय में एक प्रश्न-पत्र के रूप में सम्मिलित करने हेतु।
3. इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.सी.एम. पाठ्यक्रम को एम.एससी. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम व एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के समकक्ष/तुल्य मानने हेतु।

बैठक का कार्यवृत विवरण संलग्न है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त समकक्षता समिति जारी प्रस्तुत रिपोर्ट का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद–10/14

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2011–12 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2012–13 हेतु जारी प्रवेश नीति को इस विश्वविद्यालय में अंगीकार करने एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुरूप सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश दिये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– राज्य सरकार द्वारा सत्र 2012–13 हेतु जारी प्रवेश नीति को इस विश्वविद्यालय में अंगीकार करने के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के स्वयं नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेशके लिए विश्वविद्यालय के नियम मान्य होगें तथा अन्य के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2012–13 को अंगीकार किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

(1) माननीय सदस्य प्रो. आर. के. रंगा द्वारा **M.C.M.** की उपाधि को **M.C.A.** के समान उपाधि मानने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के उपरान्त विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों का अवलोकन करने एवं अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया :–

1. अधिष्ठता, विज्ञान संकाय
2. अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
3. समन्वयक, कम्प्यूटर साइंस

उपरोक्त समिति की अनुशंसा/रिपोर्ट विद्या परिषद की आगामी बैठक में रखा जावें।

(2) माननीय सदस्य डॉ. अनिल कौशिक द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों में विधि स्नातक में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 05 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में विधि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। विश्वविद्यालय स्तर पर बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावें।

निर्णयः उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मती से स्वीकार किया गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुलसचिव